

## पंप एंड डंप योजना

**स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड**

हाल ही में **भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड (Securities Exchange Board of India- SEBI)** ने कथति तौर पर 'पंप एंड डंप' योजना संचालति करने के लयि 11 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है ।

- पंप-एंड-डंप योजना एक प्रकार की **हेरफेर गतविधि** है, जसिमें झूठी और भ्रामक जानकारी के माध्यम से स्टॉक की कीमत को कृत्रमि रूप से बढ़ाया जाता है, ताकि स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचा जा सके तथा नविशकों को भारी नुकसान हो ।
- यह हेरफेर रणनीति विशेष रूप से **माइक्रो-कैप और स्मॉल-कैप क्षेत्रों** में प्रचलति है, जहाँ कंपनियों के बारे में अक्सर सार्वजनिक जानकारी सीमति होती है तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है ।
- SEBI के दशिया-नरिदेशों के तहत पंप-एंड-डंप योजनाओं पर **पूरी तरह प्रतबिंध** है ।
- पंप-एंड-डंप में हेरफेर करने वालों को **कानूनी दंड** दयाि जा सकता है, जसिमें जुर्माना, अर्जति लाभ की वापसी करना और कारावास आदि शामिल हैं ।
- ये योजनाएँ **वृत्तितीय बाज़ारों** में **वशिवास को कमज़ोर** करती हैं, जसिसे वैध नविशक संभावति धोखाधड़ी के प्रतसितर्क हो जाते हैं ।
- **पंप एंड डंप योजना इनसाइडर ट्रेडिंग** से अलग है क्योंकि पंप एंड डंप योजना में कंपनी की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग नहीं होता है ।
  - जबकि, **इनसाइडर ट्रेडिंग** कसिी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के शेयरों को कसिी ऐसे व्यक्तियों द्वारा **खरीदना या बेचना** है जसिके पास ऐसी जानकारी हो जो प्रतभूति को खरीदने या बेचने के संदर्भ में नविशक के **नरिणय को काफी हद तक प्रभावति** कर सकती है, जो जनता के लयि उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

और पढ़ें: **शेयर बाज़ार वनिमियम**